रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072024-255804
CG-DL-E-27072024-255804

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2843] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 2024/श्रावण 4, 1946
No. 2843] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2024/SHRAVANA 4, 1946

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2024

**का.आ. 2984(अ).**— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, करेरा वन्यजीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3063(अ) द्वारा, तारीख 18 सितम्बर, 2017 को एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3063 (अ) द्वारा, तारीख 18 सितम्बर, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3063 (अ) द्वारा, तारीख 18 सितम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. निगरानी समिति.** – केंद्रीय सरकार इसके द्वारा एक समिती का गठन करेगी जिसे निगरानी समिति कहा जाएगा, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

| | | |
|---|---|---|
| (i) | प्रभागीय आयुक्त, ग्वालियर | - अध्यक्ष, पदेन; |
| (ii) | जिला कलेक्टर, शिवपुरी | - सदस्य, पदेन; |
| (iii) | अधीक्षण इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, शिवपुरी | - सदस्य, पदेन; |
| (iv) | अधीक्षण इंजीनियर, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी, शिवपुरी | - सदस्य; |
| (v) | जिला पंचायत शिवपुरी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी | - सदस्य; |
| (vi) | पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि | - सदस्य; |
| (vii) | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक या पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ | - सदस्य, पदेन; |
| (viii) | नगर और ग्राम योजना विभाग का प्रतिनिधि | - सदस्य, पदेन; |
| (ix) | मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि | - सदस्य, पदेन; |
| (x) | राज्य राष्ट्रीय जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य | - सदस्य, पदेन; |
| (xi) | निदेशक, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, | - सदस्य सचिव, पदेन।" |

6. **निगरानी समिति के कार्य.-** (1) निगरानी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की जाँच करेगी जब कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में सम्मिलित हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों, उसके पैरा 4 के अंतर्गत दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राजकीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।

(2) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की जाँच निगरानी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।

(3) निगरानी समिति के सदस्य सचिव या उप आयुक्त या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) निगरानी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर आवश्यकताओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकती है।

(5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-IV** में निर्दिष्ट प्रारुप में प्रस्तुत करेगी।

(6) केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निगरानी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।"

[फा. सं. 25/73/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

**टिप्पण.-** मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 18 सितम्बर, 2017 को अधिसूचना संख्या का.आ. 3063 (अ) के माध्यम से प्रकाशित की गई थी।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th July, 2024

**S.O. 2984(E).—**WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules,1986, issued a notification to declare an Eco-sensitive Zone around Karera Wildlife Sanctuary, Madhya Pradesh in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3063 (E), dated the 18th September, 2017;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of the notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O.3063 (E), dated the18th September, 2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of Environment (Protection) Act, 1986, (29 of 1986) read with the sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules,1986 the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part -II, section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.3063 (E), dated the18th September, 2017, namely:-

In the said notification, for paragraph 5 and 6, the following paragraph shall be substituted, namely:

"5. **Monitoring Committee**.- (1) The Central Government constitutes a Committee to be known as Monitoring Committee, which shall comprise of the following persons, namely:-

| | | |
|---|---|---|
| (i) | Divisional Commissioner, Gwalior | - Chairman, *ex officio*; |
| (ii) | District Collector, Shivpuri district | - Member, *ex officio* |
| (iii) | Superintendent Engineer, Public Works Department, Shivpuri | - Member, *ex officio*; |
| (iv) | Superintendent Engineer, Public Health Engineering, Shivpuri | - Member, *ex officio*; |
| (v) | Chief Executive Officer, District Panchayat Shivpuri | - Member, *ex officio*; |
| (vi) | One representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment nominated by the Government of Madhya Pradesh for a period of three years | - Member; |
| (vii) | One expert in the area of ecology or environment nominated by the Government of Madhya Pradesh for a period of three years | - Member; |
| (viii) | One representative of the Town and Country Planning Department | - Member, *ex officio*; |
| (ix) | One representative of the Pollution Control Board | - Member, *ex officio*; |
| (x) | One member, National biodiversity Board | - Member, *ex officio*; |
| (xi) | Director, Madhav National Park, Shivpuri | - Member Secretary, *ex officio*.". |

"6. **Functions of the Monitoring Committee.**– (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the that notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or the stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the action taken report annually of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in pro forma specified in **Annexure-IV**.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions. ".

[F. No. 25/73/2015-ESZ/RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O.3063(E), dated the 18th September, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.07.27 16:23:49 +05'30'